प्ररूप 17
[देखिए नियम 69ढ (4)(घ) तथा (6)(क) तथा (ग) तथा 69ब(1)]

डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए हिदायतें

नगरपालिका/नगरपरिषद्.. के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/ नगरपरिषद्..............................की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से सदस्य का चुनाव

व्यक्ति जिन के नाम इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर मुद्रित हैं वे उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हो, तो आप नीचे भाग–I में दिये गये निदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करेंगे तथा तब भाग–II में विस्तृत अनुदेशों का अनुसरण करेंगे।

भाग–I

निर्वाचकों के लिए अनुदेश

1. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है।

2. आपका केवल एक मत है।

3. आपको एक से अधिक उम्मीदवार के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

4. उम्मीदवार जिसको आप अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाते हुये मत अभिलिखित करें।

5. चिह्न इस प्रकार लगाया जाएगा जो उम्मीदवार जिसको आप अपना मत दे रहे हैं को स्पष्ट रूप से सूचित करें तथा सन्देह के परे हो। यदि चिह्न इस प्रकार लगया गया है जो उम्मीदवार जिसको आपने अपना मत दिया है को सन्देहपूर्ण बनाता है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।

6. चिह्न जो मतपत्र पर आपको पैरा 4 के अनुसार उस पर करने अपेक्षित हैं, के सिवाय अपने हस्ताक्षर न करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिह्न न लगाएं, हस्ताक्षर या लिखित में कुछ भी ना करें।

7. निर्वाचक प्ररूप–14 में घोषणा पर अपने हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणनमजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करवाएगा, यदि वह निर्वचान डयूटी पर है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी से या मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से जिस में वह निर्वाचन डयूटी पर है।

भाग–II

निर्वाचकों के लिए अनुदेश

(क) आपको मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात मतपत्र को इसके साथ भेजे गये ''क'' चिह्नित छोटे लिफाफे में रखे। लिफाफे को बन्द कर दें और उसे मोहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर दें।

(ख) इसके उपरान्त आप इसके साथ भेजी गई प्ररूप–14 में घोषणा भी मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी जो आपके हस्ताक्षर सत्यापन करने में सक्षम हो (देखिए उपरोक्त अनुदेश 7) की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं। घोषणा ऐसे अधिकारी के पास ले जाएं और उसकी आपकी पहचान के बारे में सन्तुष्टि होने के बाद उसकी उपस्थिति में इसे हस्ताक्षर करें। अधिकारी घोषणा पर आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करेगा तथा आपको लौटाएगा। आपको अपना मतपत्र अनुप्रमाणन अधिकारी को न तो दिखाना है और न ही उसे बताना है कि आपने किस प्रकार मत दिया है।

(ग) यदि आप निक्षरता, अन्धेपन या अन्य अशक्तता के कारण उपरोक्त सूचित रीति में स्वयं मतपत्र चिह्नित करने और अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं, तो आप मद (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आपकी ओर से आपका मत चिह्नित करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने के लिये हकदार हैं। ऐसा अधिकारी आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थित में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र को चिह्नित करेगा। वह इस निमित आवश्यक प्रमाण–पत्र भी पूरा करेगा।

(घ) आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर मद (ख) या मद (ग) के अनुसार अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात प्ररूप–14 में घोषणा, मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाले ''क'' चिह्नित छोटे लिफाफे, ''ख'' चिह्नित बड़े लिफाफे में रखे। बडे लिफाफे को बंद करने के पश्चात उसे डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेज दें। आपको चिह्नित लिफाफे पर उपलब्ध स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं। आप द्वारा कोई भी डाक टिकट लगानी आवश्यक नहीं है।

(ङ) आप सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा चुनाव अधिकारी के पास.....................................**को............... बजे से पूर्व पहुंच जाए।

(च) कृपया यह भी ध्यान रखें कि :–

(i) यदि आप अपनी घोषणा उपरोक्त निर्दिष्ट रीति में अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं, तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा ; तथा

(ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी के पास...को..................बजे के पश्चात पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।

**यहां मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और तिथि विनिर्दिष्ट करें।